**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding mplementation of 74th Constitutional Amendment Act in letter and spirit by State Governments - laid

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर):** संसद द्वारा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निगम व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाकर इन्हें सक्षम बनाया गया है ।

संविधान संशोधन लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेशों में लागू अधिनियमों के माध्यम से नगर निगमों को शक्तियाँ, अधिकार व जिम्मेदारियाँ देने का काम कर रही हैं । संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार कामकाज हो इस हेतु प्रदेश सरकारें अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार इस संशोधन को आंशिक रूप से लागू कर रही हैं ।

केन्द्र सरकार की अनेकों योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन नगर निगमों द्वारा किया जा रहा है । सशक्त व सक्षम नगर सरकारें ही इन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक कर सकती हैं । इस हेतु 74वें संविधान संशोधन का इमानदारी से पालन किया जाना चाहिए । संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार कामकाज चले इस हेतु राज्य सरकारों को अपने-अपने अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने होंगे ।

भारतीय महापौर परिषद जो महापौरों का अखिल भारतीय संगठन है, ने इस विषय में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि व विशेषज्ञों से चर्चा कर एक मॉडल अधिनियम बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित भी किया है ।

प्रदेश सरकारों से चर्चा कर इस विषय में आम सहमति के आधार पर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि देश की सभी नगर

सरकारें भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक व प्रभावकारी क्रियान्वयन कर सके ।